

फैक्स/क्यूमेल/आवश्यक

**मुख्यालय      पुलिस      महानिदेशक      उत्तर      प्रदेश।**

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002  
संख्या:18-एस0आई0(लिपिक रामनिवास)-271/2024

दिनांक:लखनऊ:फरवरी      2025

**आदेश**

पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) श्री राम निवास सिंह, नियुक्ति-कार्यालय पुलिस अधीक्षक(रेलवे) प्रयागराज अनुभाग को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त दण्डादेश संख्या:द-105/2013 दिनांक 27.09.2013 को पुलिस उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद के अपीलीय आदेश संख्या:सीओए-एस-1-अपील-43/2014/2938 दिनांक 30.06.2016 द्वारा निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर चयनवर्ष-2014 की रिक्ति के सापेक्ष उक्त कर्मी को पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण भर्ती बोर्ड को सन्दर्भित किया गया था।

2. अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या:पीआरपीबी-चार-10(28)/2023 (111) दिनांक 31.01.2025 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत विभागीय चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी को चयनवर्ष-2014 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने तथा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व चयन वर्ष में उनके वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मी की तिथि से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, उक्त कर्मी का विवरण निम्नवत है:-

क्र.	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद/इकाई
1	922300080	राम निवास सिंह	बृज बिहारी	2014	जी०आर०पी०प्रयागराज

3. इनकी वरिष्ठता चयनवर्ष-2014 की रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति पाये इनसे वरिष्ठ कर्मी नरेन्द्रपाल सिंह, पी०एन०ओ०-920820102 के नीचे एवं इनसे कनिष्ठ कर्मी सुरेश कुमार दुबे, पी०एन०ओ०-922760323 के ऊपर यथास्थान निर्धारित की जायेगी।

4. पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मी के परिवीक्षा काल हेतु उ०प्र० पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

5. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) से संलग्न प्रारूप(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।


(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित उपनिरीक्षक(लिपिक) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

6. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-5 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित कर्मी को पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-5 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

7. यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उक्त आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाईट <http://uppolicer.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित जनपद/इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

  
(नचिकेता झा)

पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)

उत्तर प्रदेश।  
08/02/2025

प्रतिलिपि: अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, जी०आर०पी० मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3. पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।

4. पुलिस अधीक्षक(रेलवे) प्रयागराज अनुभाग, प्रयागराज को आदेश की 02 प्रतियां इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) रामनिवास सिंह, पी०एन०ओ०-922300080 को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करें।